

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4301 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

विश्वनाथ घाट का विकास

†4301. श्री रंजीत दत्ता:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने नदी कूज के सुचारू संचालन के लिए ब्रह्मपुत्र नदी (एनडब्ल्यू-2) के किनारे असम के विश्वनाथ जिले में विश्वनाथ घाट के विकास की दिशा में कोई कदम उठाए हैं; और
- (ख) यदि हां, तो विश्वनाथ घाट पर नदी कूज से यात्रा करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए विकसित और प्रस्तावित सुविधाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी हां। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, के द्वारा विश्वनाथ घाट पर कूज जलयानों की बर्थिंग तथा पर्यटकों के चढ़ने और उतरने के लिए एक फ्लोटिंग टर्मिनल उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, विश्वनाथ घाट पर पर्यटक जेट्टी का विकास कार्य भारतीय पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) को सौंपा गया है।
